सार-समाचार

जे.के. उद्योग समूह के श्रमिकों को समर्थन दिया

कोटा, (निसं)। भारत की मार्क्सवादी कम्यूनिस्ट पार्टी (यूनाइटेड) के कार्यकर्ताओं ने भाजपा की केन्द्र सरकार द्वारा श्रमिक एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ जिला कार्यालय के समक्ष जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। संसद में स्थायी समिति को सौंपे गए तीन बिलों को जनतंत्र को समाप्त करने वाले एकाधिकारी कानून बता कर कोटा कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन कर के इन बिलों को वापस लेने की पुरजोर मांग की गई। एमसीपीआई कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को हाथों में तख्तियां और लाल झंडे लेकर केन्द्र सरकार की तनाशाही नीतियां के विरोध में नारे लगाए। प्रदर्शन में श्रमिक नेता, नूर मोहम्मद, राजेन्द्र कुमार, महेंद्र पांडेय, सत्यनारायण बैरागी, शब्बीर अहमद, शंभू सिंह, अब्दुल गफूर, राजेंद्र सिंगोर, रमेश शर्मा, आदि उपस्थित थे। प्रदर्शन के बाद पार्टी के जिला सचिव एनपी शर्मा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मण्डल ए.डी.एम. सिटी बैरवा से मिला और उन्हें राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में तीनों विधेयकों भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य संहिता और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता को भारतीय नागरिकों की संविधान सम्मत स्वतंत्रता को छीन कर लोकतन्त्र को समाप्त करने की दिशा में बढ़ने वाली बता कर रद्द किए जाने की मांग की गई। ज्ञापन सौंपने वाले एमसीपीआई (यू) के प्रतिनिधि मण्डल में पार्टी के प्रदेश सचिव महेंद्र नेह, श्रमिक नेता देवराज सिंह, शब्बीर अहमद एवं राज्य कमेटी के सदस्य महेंद्र पांडेय, एडवोकेट दिनेश राय द्विवेदी आदि शामिल थे।

नगर निगम केडीए ने अतिक्रमण हटाये

कोटा, (निसं)। नगर निगम कोटा के आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने बताया कि नगर निगम कोटा द्वारा अतिक्रमण के खिलाफ लगातार की जा रही कार्यवाही के क्रम में शुक्रवार को नगर निगम कोटा एवं कोटा विकास प्राधिकरण द्वारा अतिक्रमण हटाने की संयुक्त कार्यवाही की गई। जिसके अन्तर्गत अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक तरूण कांत सोमानी के नेतृत्व में, कोटा विकास प्राधिकरण के ए.एस.आई. सत्यनारायण मय जाप्ता एवं नगर निगम कोटा अतिक्रमण जाप्ता प्रभारी संजीव कुमार दस्ता प्रभारी नरेन्द्र शाक्यवाल एवं मुकश तवर मय अतिक्रमण जाप्ता सहित कॉमर्स कॉलेज रोड से राजीव गांधी नगर मेन स्लिप लेन एवं उसके आस-पास व पीछे की तरफ पार्क व पानी की टंकी से जाट समाज के भवन तक व तलवंडी जैन मंदिर के आस-पास के क्षेत्र में हो रहे अस्थाई अतिक्रमण को कोटा विकास प्राधिकरण टीम के साथ संयुक्त कार्यवाही कर हटवाया गया। साथ ही नगर निगम कोटा अतिक्रमण टीम द्वारा गुमानपुरा क्षेत्र में मुनादी एवं समझाईश की गई। अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही आगे भी लगातार जारी रहेगी।

विशेष शिविर का आयोजन

कोटा, (निसं)। राष्ट्रीय सेवा योजना के सात दिवसीय विशेष शिविर के चतुर्थ दिवस का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, केशवपुरा में शुक्रवार को किया गया। सत्र का शुभारंभ मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ किया गया। इसके पश्चात स्वयंसेवकों द्वारा छै गीत का सामूहिक गायन किया गया। इसके बाद स्वयंसेवकों ने अल्पाहार ग्रहण किया तथा विद्यालय परिसर की सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। तदोपरान्त स्वयंसेवकों द्वारा गोद ली गई बस्तियों में जागरूकता रैली निकाली गई। रैली के दौरान नशा मुक्ति एवं मतदाता जागरूकता जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसके माध्यम से आमजन को सामाजिक कुरीतियों से दूर रहने एवं लोकतांत्रिक दायित्वों के प्रति जागरूक किया गया। द्वितीय सत्र में स्वयंसेवकों के मध्य भाषण, कविता पाठ, गायन एवं लघु कथा जैसी विभिन्न सांस्कृतिक एवं बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिसमें स्वयंसेवकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया।

स्कूटी चोर बाल अपचारी निरूद्ध, स्कूटी जब्त

कोटा, (निसं)। जवाहरनगर पुलिस टीम ने स्कूटी चोरी के दर्ज मामले में कार्यवाही करते हुए चुराई गई स्कूटी सहित बाल अपचारी को निरूद्ध किया है। जवाहर नगर थानाधिकारी रामलक्ष्मण गुर्जर ने बताया कि 1 जनवरी को फरियादी ने थाने में रिपोर्ट दी। रिपोर्ट में कहा कि 31 दिसम्बर को राजीव गांधी नगर में स्थित बैंक के सामने से कोई अज्ञात स्कूटी को चोरी करके ले गया। थानाधिकारी ने बताया कि फरियादी की रिपोर्ट पर मामला दर्ज किया गया। मामले में स्कूटी बरामदगी के लिये असूचनाएं एकत्र की गई। थानाधिकारी ने बताया कि पानी की टंकी राजीव गांधी नगर में नाकाबंदी के दौरान चुराई गई स्कूटी सहित बाल अपचारी को निरूद्ध किया गया है एवं स्कूटी को जप्त कर लिया गया।

अतिक्रमण हटाए

छबड़ा (निसं)। पालिका प्रशासन द्वारा मास्टर प्लान-2023 के तहत यहां मास्टर प्लान की प्रस्तावित सडको का डिमार्केशन का कार्य किया जा रहा है। प्रस्तावित सडको पर हो रहे स्थाई, अस्थाई अतिक्रमण को दस्ते द्वारा ध्वस्त किया जाएगा। ईओ संदीप गहलोत ने अतिक्रमणकारियों को अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए है, अन्यथा पालिका प्रशासन द्वारा इन्हें हटाया जाएगा।

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

क्रमांक: LU2012/KOT/2025-26/101083 **लोक सूचना** दि.02.01.2026

श्री SUKHVINDER SINGH BRAR पुत्र श्री HARNEK SINGH BRAR जाति SIKH निवासी SHRI GURU NANAK KRISHI FARM BARAN ROAD KOTA RAJ ने इस कार्यालय मे नीचे उल्लिखित भूमि का **आवासीय** प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात्:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	मानपुरा (नयानोहरा) लाडपुरा (कोटा)	SUKHVINDER SINGH BRAR S/O HARNEK SINGH BRAR CASTE- SIKH NIWASI-SHRI GURU NANAK KRISHI FARM BARAN ROAD DEOLI ARAB ROAD KOTA	292/160	9600	0.96
			300/293	800	0.08
				कुल	1.04

इसलिए इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियो को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क औरा राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारो के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते है। उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव मे यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नही है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा। यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज 02/01/2026 को जारी की गयी।

प्राधिकृत अधिकारी कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए)

कार्यालय ग्राम पंचायत निपानियाँ पं.स. छबड़ा जिला बाराँ (राज.)

क्रमांक-ग्रा.प./2025-26/SP04 **सार्वजनिक सूचना (अंतिम)** दिनांक-18.12.2025

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम निपानियाँ के शेष आबादी ख. नं. 233/1, 345, 347/3, 347/4, 1166/1 व ग्राम निपानियाँ की आबादी घोषित अन्य ख.न. की प्लाटों की बेचान/नीलामी की कार्यवाही मौका स्थल पर दिनांक 19/1/2026 से 25/1/2026 तक की जावेगी। इच्छुक व्यक्ति ग्रा.प. से आवेदन व शर्ते प्राप्त कर दिनांक 15/1/2026 तक आवेदन कर बोली लगा सकते हैं।

ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत निपानियाँ, पं. स.छबड़ा जिला बारां (राज.)

प्रशासक (सरपंच), ग्राम पंचायत निपानियाँ, पं. स.छबड़ा जिला बारां (राज.)

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2797 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-29.12.25

आवास संख्या 4-बी-8 रामगंजमंडी, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री सुनील गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री सुनील गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग द्वारा दिनांक 23.03.2017 को अपने पक्ष में करवाया गया। पंजीयन उपरांत श्री सुनील गर्ग पुत्र श्री ओमप्रकाश गर्ग द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 27.07.2017 को श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेशचन्द धनोतिया को किया गया। तत्पश्चात श्री देवेन्द्र कुमार गुप्ता पुत्र श्री रमेशचन्द धनोतिया द्वारा उक्त आवास का बेचान जरिये विक्रय पत्र आलेखित कर दिनांक 07.07.2023 को श्री निलेश मॉदलिया पुत्र श्री रमेशचन्द मॉदलिया को किया गया। श्री निलेश मॉदलिया पुत्र श्री रमेशचन्द मॉदलिया द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 4-बी-8 रामगंजमंडी, कोटा को विक्रय पत्र के आधार पर अपना नाम आवास के मण्डल अभिलेख में दर्ज करने हेतु आवेदन किया गया है।

अतः इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री निलेश मॉदलिया पुत्र श्री रमेशचन्द मॉदलिया का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज करने में किसी भी पक्षकार/व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि इस आवास के मण्डल अभिलेख में श्री निलेश मॉदलिया पुत्र श्री रमेशचन्द मॉदलिया का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज किये जाने में किसी भी व्यक्ति/पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास के मण्डल अभिलेख में श्री निलेश मॉदलिया पुत्र श्री रमेशचन्द मॉदलिया का नाम विक्रय पत्र के आधार पर दर्ज कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

क्रमांक-2861 **जाहिर आम सूचना** दिनांक-02.01.26

आवास संख्या 3-जे-41 महावीर नगर विस्तार, कोटा का आवंटन मण्डल द्वारा श्री पुष्प चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रामनाथ गुप्ता को किया गया था। इस आवास का पंजीयन श्री पुष्प चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रामनाथ गुप्ता द्वारा दिनांक 29.09.1999 को अपने पक्ष में करवाया गया। मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर श्री पुष्प चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रामनाथ गुप्ता की मृत्यु दिनांक 30 12.2024 को एवं इनकी पत्नी श्रीमती राधा रानी गुप्ता की मृत्यु दिनांक 08.01.2024 को हो चुकी हैं। श्री पुष्प चन्द्र गुप्ता पुत्र श्री रामनाथ गुप्ता की मृत्यु उपरांत इनके वारिसानों में श्रीमती मधु गुप्ता एवं श्रीमती कल्पना गुप्ता पुत्रीया स्व. श्री पुष्पचंद गुप्ता द्वारा उक्त आवास में निहित अपने अविभाजित हिस्से का त्याग जरिये रिलीज डीड आलेखित कर दिनांक 12.11.2025 को इनके भाई श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री पुष्पचंद गुप्ता के पक्ष में किया गया। श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री पुष्पचन्द गुप्ता द्वारा इस कार्यालय में प्रतिवेदन प्रस्तुत कर आवास संख्या 3-जे-41 महावीर नगर विस्तार, कोटा को उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन अपने नाम आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर करने हेतु आवेदन किया गया।

अतः उक्त आवास का हस्तांतरण/प्रतिस्थापन आवेदन पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, शपथ पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, एवं रिलीज डीड (हक त्याग पत्र) के आधार पर श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री पुष्पचंद गुप्ता के पक्ष के नाम करने में किसी भी पक्षकार / व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो 15 दिवस के अन्दर इस कार्यालय को सूचित करें। अन्यथा यह मानते हुए कि उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री पुष्पचंद गुप्ता के पक्ष के नाम किये जाने में किसी भी व्यक्ति / पक्षकार को कोई आपत्ति नहीं है। उक्त आवास का हस्तांतरण / प्रतिस्थापन श्री अशोक कुमार अग्रवाल पुत्र स्व. श्री पुष्पचंद गुप्ता के पक्ष के नाम कर दिया जावेगा।

उप आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मण्डल कोटा वृत्त कोटा

दिव्यांगजनों को सुविधा, सम्मान और अवसर देना प्राथमिकता : बिरला

कोटा, (निसं)। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शक्ति नगर स्थित कोटा कार्यालय कोटा, बून्दी, बारां और झालावाड़ से आए 22 दिव्यांगजनों को मोटराईज्ड ट्राइसाईकिल भेंट की। स्पीकर बिरला के निर्देश पर दिव्याशा केंद्र के माध्यम से सभी का मोटराईज्ड ट्राइसाईकिल के लिए पंजीजन किया गया था। स्पीकर बिरला ने सभी लाभार्थियों से संवाद किया।

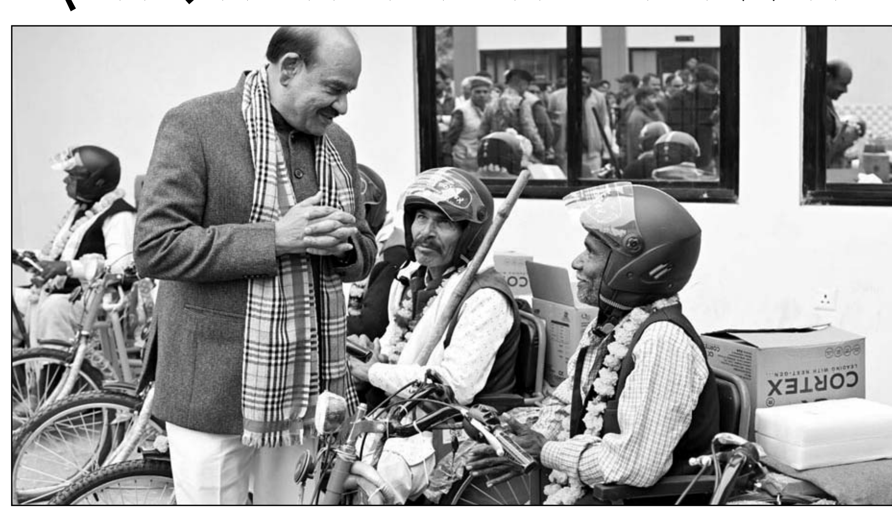

कोटा में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने 22 लाभार्थियों को मोटराईज्ड ट्राइसाईकिल वितरित की।

इस दौरान दिव्यांगजनों ने कहा कि जीवन में कई चुनौतियां थी जो अब मोटराईज्ड ट्राइसाइकिल मिलने से समाप्त हो जाएगी। बिरला ने कहा कि मोटराइज़्ड ट्राईसाईकिल दिव्यांग भाई-बहनों के लिए केवल आवागमन का साधन नहीं है, बल्कि उनके जीवन को अधिक सहज, सम्मानजनक और आत्मनिर्भर बनाने का माध्यम है। इससे दिव्यांगजन रोजगार से जुड़ सकेंगे, अपने दैनिक कार्य आत्मविश्वास के साथ कर पाएंगे और समाज की मुख्यधारा में सक्रिय भूमिका निभा सकेंगे। उन्होंने कहा कि दिव्यांगजनों को समान अवसर और सुविधाएं उपलब्ध कराना हमारी सामाजिक प्रतिबद्धता हैं।

6 माह में 2500 से अधिक को मिले उपकरण:- कोटा में स्पीकर बिरला की पहल पर 19 मई 2025 में प्रारंभ किए गए' प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र' के माध्यम से अब तक लगभग 2500 से अधिक जरूरतमंद दिव्यांगजनों और वरिष्ठ नागरिकों को सहायता प्रदान की जा चुकी है तथा करीब 7 करोड़ रुपए के सहायक उपकरण वितरित किए गए हैं। यह पहल दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण की दिशा में एक प्रभावी और सार्थक कदम है।

राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में कोटा की खुशी का शानदार प्रदर्शन

कोटा, (निसं)। कोटा की उभरती हुई निशानेबाज खुशी जाडेजा, पुत्री जयसिंह जडेजा, निवासी नम्रता आवास, बजरंग नगर, कोटा (राजस्थान) ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता (राईफल इवेंट्स) में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर शहर व प्रदेश का नाम रोशन किया है। यह प्रतिष्ठित प्रतियोगिता 2 जनवरी 2026 को भोपाल, मध्यप्रदेश में संपन्न हुई, जिसमें देशभर से आए शीर्ष निशानेबाजों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिली। इस दौरान खुशी जडेजा ने 50 मीटर राईफल प्रॉन पोजिशन में 603.4 अंक अर्जित कर शानदार प्रदर्शन किया। पिता जयसिंह जाडेजा ने बताया कि इस उल्लेखनीय उपलब्धि के साथ खुशी ने लगातार तीसरी बार राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए क्वालीफाई किया है, साथ ही भारतीय टीम के ट्रायल्स के लिए भी अपना स्थान सुनिश्चित किया है। यह उपलब्धि उनके खेल करियर में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर मानी जा रही है। प्रतियोगिता के दौरान खुशी की एकाग्रता, तकनीकी दक्षता और आत्मविश्वास ने खेल विशेषज्ञों को खासा प्रभावित किया।

'वर्ष 2025 में ग्रामीण इलाके में अलग-अलग मामलों में दर्ज अपराधों में गिरावट आई'

■ पैंडेंसी मामले 2.87 प्रतिशत रही

कोटा, (निसं)। ग्रामीण इलाके में थानों में दर्ज मामलो में ग्रामीण पुलिस द्वारा दर्ज प्रकरणो का वर्ष 2025 में अधिकतम एवं शीघ्र निस्तारण किया गया है।

ग्रामीण पुलिस अधीक्षक सुजीत शंकर ने बताया कि थानो में बीएनएस में दर्ज मामले में 15.81 प्रतिशत की कमी आई है, वही पैडेंसी 2.87 प्रतिशत रही है, साथ ही परिवाद के मामलो के निस्तारण में 99.83 प्रतिशत रहा है। ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने वर्ष 2025 में जिला पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण के लिए की गई कार्यवाही, अपराधों के वार्षिक विवरण व अर्जित की गई महत्वपूर्ण उपलब्धियों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि ग्रामीण इलाके में हत्या, नकबजनी, लूट जैसे इत्यादि मामलो में भी गिरावट दर्ज की गई है साथ ही महिला अत्याचार के मामलो में भी कमी दर्ज की गई है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि ग्रामीण इलाके में पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी एवं ईनामी अपराधियों पर शिंकजा कसा है।

ग्रामीण एसपी ने कहा कि वर्ष 2025 में अवैध मादक पदार्थों की ब्रिकी के लिये उपयोग किये जा रहे अवैध दुकान एवं होटलों व अवैध अर्जित सम्पत्ति को भी ध्वस्त करने की कार्यवाही की है। ग्रामीण एसपी ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं में रोक लगाने के लिये भी वर्ष 2025 कई महत्वपूर्ण कदम ग्रामीण पुलिस द्वारा उठाये गये। जिसमें एनएच-52 दरा घाटी में जाम की स्थिति से निजात पाने के लिए दरा हाईवे पर कनवास तिराहा से कमलपुरा तक वाहनों के आवागमन हेतु अमझार नदी की पुलिया से डाढ का मौका तक वैकल्पिक अस्थाई मार्ग बनाने सहित कई कार्यवाही की गई।

कन्या भोज कार्यक्रम

बूंदी (निसं)। आज मेले के दूसरे दिवस पर अखंड रामायण पाठ की पूर्णाहुति रूप में सती माता के चबूतरे पर कन्या भोज का कार्यक्रम रखा गया। कन्या भोज की व्यवस्था पूर्व सभापति महावीर मोदी की और से तथा उपहार शहर मंत्री चेतन पंचोली की और से की गई।

कांग्रेस स्थापना दिवस पर जनसभा आयोजित

छबड़ा (निसं)। कांग्रेस पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर नगदी गांव में बैठक का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं आमजन उपस्थित रहे।

पूर्व विधायक राठौड़ ने कहा कि भाजपा सरकार पिछले दो वर्षों में पूरी तरह विफल साबित हुई है। सरकार ने जनता के हित में कोई ठोस कार्य नहीं किया, बल्कि समाज को धर्म के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। उन्होंने केंद्र एवं राज्य सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि मनरेगा को बंद करने अथवा कमजोर करने की साजिश का कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। खाद्य सुरक्षा योजना में पात्र लोगों के नाम मनमाने ढंग से काटे जा रहे हैं।

गरीबों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन में कटौती कर उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीब, किसान, मजदूर और वंचित वर्ग के साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके हक की लड़ाई पूरी ताकत से लड़ती रहेगी। बैठक में प्रेम सिंह मीणा, गोविन्द सोनी दरबार, रामदयाल लोधा, नन्द किशोर लोधा, सतीश मालव, रामनरेश मीणा, राजवीर यादव, लाखन यादव, फूलसिंह मीणा, हरिराम मीणा, रिंकू सेन, सौभागमल नागर, प्रकाश चांचौड़ा, राजू गुर्जर, हरिप्रसाद लोधा, केसरी बना आदि मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमूह ने एकजुट होकर भाजपा सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ आवाज बुलंद करने और कांग्रेस संगठन को मजबूत करने का संकल्प लिया।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की

कोटा, (निसं)। सिलिकॉन वेलफेयर सोसाइटी की अध्यक्ष रेनू खंडेलवाल के नेतृत्व में शुक्रवार को संस्था के कार्यकारिणी व सलाहकार मंडल के सदस्यों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। इस भेंट के दौरान कॉलोनी की जन-सामुदायिक सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण और विकास से जुड़े विभिन्न विषयों पर सकारात्मक चर्चा की गई। लोकसभा अध्यक्ष ने कॉलोनी की मांगों पर उचित कार्यवाही का आश्वासन देते हुए कॉलोनी की अन्य गतिविधियों के बारे में भी विस्तार से जानकारी ली। अध्यक्ष रेनू खंडेलवाल ने बताया कि बिरला से प्राप्त मार्गदर्शन और सभी निवासियों के सहयोग से कॉलोनी के विकास कार्यों को नई गति मिलेगी और यह प्रयास सार्थक साबित होंगे।

स्नेह मिलन समारोह कल

कोटा, (निसं)। हाड़ौती राजपूत महासभा समिति, कोटा द्वारा आगामी 4 जनवरी 2026 (रविवार) को नववर्ष स्नेह मिलन, परिचय सम्मेलन, भामाशाहों, वरिष्ठजनों एवं समाज की प्रतिभाओं के सम्मान के साथ भूमि पूजन व शिलान्यास समारोह का भव्य आयोजन किया जाएगा।

अध्यक्ष विजय सिंह हाड़ा ने बताया कि हाडौती राजपूत महासभा सामुदायिक भवन के भूमि पूजन के अवसर पर आयोजित होगा।

उपभोक्ताओं से छुपी ठगी कठोरता से रोकी जाये : सिसोदिया

■ पैकिंग में बिक्री वस्तुओं के स्टेण्डर्ड माप के नियम तय हों : अरविन्द सिसोदिया

कोटा, (निसं)। उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण को लेकर राजस्थान राज्य पाठ्यपुस्तक मंडल के शिक्षा प्रोत्साहन प्रन्याशी एवं भारत-तिब्बत सहयोग मंच के प्रांतीय महामंत्री अरविन्द सिसोदिया ने वर्तमान व्यापारिक एवं सेवा क्षेत्रों में अपनाई जा रही पैकिंग और बिलिंग की भ्रमपूर्ण पद्धति एवं छलपूर्ण नीतियों के विरुद्ध कड़ा विरोध दर्ज कराते हुये, तय वास्तविक मानकों की अनिवार्यता से लागू करने की मांग की है।

उन्होंने भारत के माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वाणिज्य मंत्री, उपभोक्ता मामलों के मंत्री और संचार मंत्री सहित राजस्थान और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्रीयों को पत्र प्रेषित कर मांग की है कि देशभर में वस्तुओं और सेवाओं के लिए एकरूप एवं स्थिर मानकों को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए।

सिसोदिया ने कहा कि आमजन सामान्यत: पेकिंग में बेंची जाने वाली वस्तुओं में वह मात्रा मानती है जो वर्षों से प्रचलित है। किन्तु कई तरह की पेकिंग्स में यह नहीं होती है, जो वह समझता या मांगता है। बल्कि उसमें कम मात्रा होती है और वह भी बहुत ही छोटे अक्षरों में कहीं लिखी होती है, जो पढ़ने या देखने में भी नहीं आती है।

इस तरह से उपभोक्ता के साथ अपरोक्ष ठगी होती है। इसे कड़ाई से रोका जाना चाहिए और तयसुदा मानकों के साथ हो रही छेड़छाड़ बंद होनी चाहिए। सिसोदिया का कहना है कि 1 किलो को 1000 ग्राम तथा 1 लीटर को 1000 मिलीलीटर के वैज्ञानिक मानकों के बावजूद बाजार में 950 ग्राम, 900 ग्राम अथवा 850 ग्राम और इसी तरह 950 या 900 या 850 मिलीलीटर की पैकिंग में वस्तुएं बेची जाती हैं, इसी तरह 500 मिलिलीटर की पेकिंग में 450 मिलिलीटर ही सामग्री होती है, जिससे उपभोक्ता अनजाने में कम सामग्री के बदले अधिक मूल्य चुकाना होता है।

इसी प्रकार दूरसंचार कंपनियां एक माह को 28 दिन मानकर बिलिंग करती हैं, जो सामान्यत: स्वीकृत 30 दिन की अवधि के विरुद्ध है और यह प्रवृत्ति उपभोक्ताओं से अप्रत्यक्ष रूप से अतिरिक्त राशि वसूलने की है। उन्होंने यह भी कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार स्तर पर पैकिंग मानक निर्धारित कर 50 ग्राम, 100 ग्राम, 250 ग्राम, 500 ग्राम और 1 किलोग्राम जैसी श्रेणियां अनिवार्य की जाएं और बड़ी पैकिंग में भी 5, 10, 25, 50 और 100 किलोग्राम जैसे स्पष्ट विकल्प ही हों। इसी तरह मिलीलीटर और लीटर इकाई वाली पैकिंग के लिए भी पारदर्शी श्रेणियां तय की जाएं।

वहीं बड़ी पेकिंग के लिए भी स्पष्ट नियम कानून बनाये जाएँ। अरविन्द सिसोदिया ने कहा कि इन सुधारों से उपभोक्ता हित सुरक्षित होगा, ईमानदार व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और अनैतिक लाभ कमाने पर रोक लगेगी। उन्होंने भारत सरकार से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही करने की अपील की है ताकि देश के लाखों उपभोक्ताओं को राहत मिल सकें।

सार-समाचार

बुजुर्गों को च्यवनप्राश वितरित

कोटा, (निसं)। दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप "वर्धमान", कोटा द्वारा नववर्ष 2026 का शुभारंभ सामाजिक एवं धार्मिक गतिविधियों के साथ सेवा भावपूर्वक किया गया। इस अवसर पर ग्रुप द्वारा दो प्रमुख कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें समाज सेवा और मानवीय संवेदनाओं का सुंदर समन्वय देखने को मिला। गुप अध्यक्ष सीमा बागडिया ने बताया कि नववर्ष के उपलक्ष्य में ग्रुप द्वारा राजकीय वृद्धाश्रम, स्वामी विवेकानंद, कोटा में वृद्धजनों के लिए च्यवनप्राश वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम के माध्यम से ग्रुप अध्यक्ष सीमा बागड़िया ने बताया कि च्यवनप्राश वितरण कार्यक्रम में सहयोगी लोकेशदृअनामिका दुगेरिया, ज्ञानेन्द्र-सोनल दुगेरिया एवं रविन्द्र-अनीता दुगेरिया रहे। कोटा रीजन के अध्यक्ष अनिल ठोरा ने बताया कि इस अवसर पर ग्रुप सदस्यों द्वारा कुल 32 किलोग्राम च्यवनप्राश का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सदस्यों एवं वृद्धजनों द्वारा भजनों की मधुर प्रस्तुति दी गई सभी उपस्थितजनों ने एक-दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएँ भी प्रदान कीं। कार्यक्रम में दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन, कोटा रीजन के अध्यक्ष अनिल ठोरा, ग्रुप अध्यक्ष सीमा-अरविन्द बागड़िया, सचिव श्वेता-नवीन सेठिया, तथा पदाधिकारी महावीर-संध्या बरमुंडा, लोकेश-अनामिका दुगेरिया, रविन्द्र-अनीता दुगेरिया, मनोज जैन ठोरा सहित अनेक ग्रुप सदस्यों की गरिमामयी उपस्थिति रही।

यात्री गाड़ी में छूटा बैग कोटा जंक्शन पर पहचान के बाद यात्री को सौंपा

कोटा, (निसं)। यात्री सुविधा और सुरक्षा के प्रति रेलवे कर्मचारियों की सजगता का एक और उदाहरण सामने आया है। दोपहर यात्री गाड़ी संख्या 59837 की जांच के दौरान सामान्य कोच में एक यात्री का बैग छूटे होने की सूचना मिली। कोच में मौजूद यात्रियों द्वारा सूचना दिए जाने पर हेड टीसी ऑफिस प्रभारी उप मुख्य टिकट निरीक्षक दीपक शर्मा ने तत्परता दिखाते हुए ड्यूटी पर उपस्थित आरपीएफ कांस्टेबल श्री तोरण सिंह के साथ बैग को अपनी सुरक्षित कस्टडी में लिया। बैग में उपलब्ध कागजात के आधार पर संबंधित यात्री से संपर्क किया गया, जो पिछले स्टेशन न्यू कोटा पर अपना सामान भूल गया था। इसके बाद यात्री को कोटा जंक्शन स्थित सीटीआई स्टेशन कार्यालय में बुलाया गया। उचित पहचान सुनिश्चित करने के पश्चात यात्री को उसका बैग सौंपा गया, जिसमें उसके आवश्यक दस्तावेज एवं अन्य सामान पूर्णत: सुरक्षित पाए गऐं। इस मानवीय और त्वरित कार्रवाई के लिए यात्री द्वारा रेल प्रशासन तथा संबंधित रेलवे कर्मचारियों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।

एयू स्मॉल फाईनेन्स बैंक लिमिटेड (ए शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक)

रजिस्टर्ड ऑफिस: 19-A, धुलेश्वर गार्डन, अजमेर रोड़, जयपुर-302001 (CIN:L36911RJ1996PLC011381)

सिक्युरिटाईजेशन अधिनियम 2002 की धारा 13 (2) के अन्तर्गत मांग सूचना पत्र

अधोहस्ताक्षरकर्ता एयू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारी है।''वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 की''धारा 13(2) के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी ने ऋण खातों के गैर निष्पादनीय आस्तियों (एन.पी.ए.) होने पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार ऋणीयों/सह-ऋणीयों/ गारण्टर बंधककर्ताओं (जिन्हें आगे ऋणी/ऋणीयों के नाम से सम्बोधित किया जायेगा) को 60 दिनों के नोटिस प्रेषित किये थे, नोटिस के अनुसार यदि ऋणी 60 दिनों के भीतर सम्पूर्ण ऋण राशि जमा नही करवाते है तो प्राधिकृत अधिकारी प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में अधिनियम की धारा 13 उपधारा 4 व 14 के अन्तर्गत कदम उठाने हेतु स्वतंत्र होगा। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ उसे प्रतिभूत आस्तियों का कब्जा लेने की शक्ति तथा उनका विक्रय करना सम्मिलित है। अतः आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि निम्न सूची में दी गई सम्पूर्ण बकाया ऋण राशि भविष्य के ब्याज तथा खर्चो एवं लागतों इत्यादि के साथ 60 दिवस के भीतर जमा करवा दें। इसके अतिरिक्त आप ऋणीयों को यह सूचित किया जाता है कि उपरोक्त 13(13) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति के पश्चात प्रतिभूत लेनदार की पूर्व लिखित सहमति के बिना सूचना में निर्दिष्ट अपनी किन्ही प्रतिभूत आस्तियों को विक्रय द्वारा या पट्टे द्वारा अथवा किसी माध्यम से अन्तरित नहीं करेंगे। ऋणीयों का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13(8) सपठित नियम 3 (5) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अनुसार ऋणी अपनी बंधक सम्पत्ति को उसके द्वारा उपगत सभी खर्चो प्रभारों और व्ययों के सहित प्रतिभूत लेनदार द्वारा विक्रय या अन्तरण के लिये नीलामी सूचना के प्रकाशन से पूर्व किसी भी समय भुगतान करके मुक्त करवा सकते है।

ऋण खाता संख्या / ऋणी/सहऋणी/ बन्धकर्ता/गारन्टर का नाम	धारा 13(2) के अन्तर्गत नोटिस की दिनांक व राशि	बंधक सम्पत्ति का विवरण
(खाता सं.) L9001060118343680 **जुगल किशोर मालव (ऋणी)**, श्रीमती रामराज बाई (सह-ऋणी)	8 अक्टूबर 2025 ₹ 308992/- रु. तीन लाख आठ हजार नौ सौ बानवे मात्र दिनांक 6 अक्टूबर 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं-3754, गांव-गोविन्दपुरा, जिला-बारां, राजस्थान **क्षेत्रफल 1683 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060713346818 **भूपेन्द्र कुमार राठी (ऋणी)**, नन्दकिशोर (सह-ऋणी), श्रीमती सुल्तान बाई (सह-ऋणी)	14 अक्टूबर 2025 ₹ 888566/- रु. आठ लाख अट्ठासी हजार पांच सौ छियासठ मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2025	सम्पत्ति स्थित तालाब पाडा में स्थित मकान, तहसील व जिला-बारां, राजस्थान **क्षेत्रफल 731 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060128347052 **धारा सिंह मीणा (ऋणी)**, श्रीमती पंसुरी बाई (सह-ऋणी), बुधि प्रकाश (सह-ऋणी)	14 अक्टूबर 2025 ₹ 245686/- रु. दो लाख पैंतालीस हजार छह सौ छियासी मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं.-26, खसरा नं. 387, गांव-खेड़ली, जीपी बम्बोरी, पीएस-अटरू, जिला-बारां, राजस्थान **क्षेत्रफल 1080 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001071019906578 **महावीर गोचर (ऋणी)**, मुकेश (सह-ऋणी)	15 अक्टूबर 2025 ₹ 438840/- रु. चार लाख अड़तीस हजार आठ सौ चालीस मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2025	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत खसरा नं. 114, ग्राम सरोला जीपी अकोदिया, जिला-झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 2379 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060136847250 **भैरू लाल बैरवा (ऋणी)**, श्रीमती प्रेम बाई (सह-ऋणी)	15 अक्टूबर 2025 ₹ 227814/- रु. दो लाख सत्ताईस हजार आठ सौ चौदह मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2025	सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 49, खसरा नं. 1398/120, गांव-खतौली, तहसील पिपलादा, जिला-कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 1000 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060142485871 **नारायण सिंह (ऋणी)**, श्रीमती पार्वती बाई (सह-ऋणी)	16 अक्टूबर 2025 ₹ 1056576/- रु. दस लाख छप्पन हजार पांच सौ छिहत्तर मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2025	सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. एन 36638, खसरा नं. 706, गांव व ग्राम पंचायत-दांता, मंदिर के पास, तहसील-पिरावा, जिला-झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 2000 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060141729325 **सुरेश यादव (ऋणी)**, धन कंवर (सह-ऋणी)	16 अक्टूबर 2025 ₹ 761642/- रु. सात लाख इकसठ हजार छह सौ बयालीस मात्र दिनांक 10 अक्टूबर 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 101 पट्टा नं. 45, पंचायत समिति बूंदी, ग्राम कांति ग्राम पंचायत रामनगर, जिला-बूंदी, राजस्थान **क्षेत्रफल 1902 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060126330121 **मैसर्स हरि मिल्क सप्लाई जरिए श्रीमती गुड्डी बाई व स्व. श्री हरि राम गुर्जर प्रोपराईटर के विधिक उत्तराधिकारी (ऋणी)**, श्रीमती गुड्डी बाई (सह-ऋणी व स्व. श्री हरि राम ऋणी के विधिक उत्तराधिकारी)	28 अक्टूबर 2025 ₹ 197678/- रु. एक लाख सत्तानबे हजार छह सौ अठहत्तर मात्र दिनांक 28 अक्टूबर 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 7567, खसरा नं. 18, ग्राम-तरकस्या, ग्राम पंचायत बोरिंकलान, पंचायत सिमति-सांगोद, जिला-कोटा, राजस्थान **क्षेत्रफल 99.55 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060121669344 **मैसर्स सपना किराना (ऋणी)**, सादिक (सह-ऋणी), अजाज मोहम्मद (सह-ऋणी), अब्दुल रफीक (सह-ऋणी), श्रीमती शबाना बी (सह-ऋणी)	11 नवम्बर 2025 ₹ 268530/- रु. दो लाख अड़सठ हजार पांच सौ तीस मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित ग्राम पंचायत पट्टा नं. 50689, खसरा नं. 3704/01, डग झालावाड़ गंगधार, जिला-झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 55.56 वर्ग गज**
(खाता सं.) L9001060133900787 व L9001060839535273 **नीरज चावला (ऋणी)**, श्रीमती ऊषा चावला (सह-ऋणी), रमेश चन्द चावला (सह-ऋणी)	11 नवम्बर 2025 ₹ 521523/- रु. पांच लाख इक्कीस हजार पांच सौ तेईस मात्र व ₹ 532772/- रु. पांच लाख बत्तीस हजार सात सौ बहत्तर मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 1534 225, प्लॉट नं. ए-3, गांव मोती नगर देवपुरा, तहसील व जिला-बूंदी, राजस्थान **क्षेत्रफल 1650 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060127133933 **जानकी लाल कुशवाह (ऋणी)**, श्रीमती फूल बाई (सह-ऋणी)	11 नवम्बर 2025 ₹ 397639/- रु. तीन लाख सत्तानबे हजार छह सौ उनतालीस मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 715, गांव-नाहरगढ, जिला-बारां, राजस्थान **क्षेत्रफल 312 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001070231565819 **महेन्द्र सिंह (ऋणी)**, श्रीमती शारदा बाई (सह-ऋणी)	12 नवम्बर 2025 ₹ 507796/- रु. पांच लाख सात हजार सात सौ छियानबे मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	(1) सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 355, पट्टा नं. 43056, ग्राम-बोरखेड़ी गुरजन, पी.एस.-अकलेरा, जिला-झालावाड़ राजस्थान **क्षेत्रफल 480 वर्ग फीट** (2) सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 355, पट्टा नं. 70110, ग्राम-बोरखेड़ी गुरजन, पी.एस.-अकलेरा, जिला-झालावाड़ राजस्थान **क्षेत्रफल 300 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060135541260 **मैसर्स कटारिया ट्रेडर्स (ऋणी)**, पूरण कटारिया (सह-ऋणी), श्रीमती नेहा कटारिया (सह-ऋणी)	12 नवम्बर 2025 ₹ 1056269/- रु. दस लाख छप्पन हजार दो सौ उनहत्तर मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 4, तलवंडी सब्जी मंडी, भलाई की दीवार के पास, तलवंडी, गांव-लाड़पुरा, जिला-कोटा, राजस्थान, 324005 **क्षेत्रफल 157.5 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001070231562250 **रामबाबू (ऋणी)**, श्रीमती लाली बाई (सह-ऋणी), श्रीमती ग्यारसी बाई (सह-ऋणी), बद्री लाल (सह-ऋणी)	13 नवम्बर 2025 ₹ 448867/- रु. चार लाख अड़तालीस हजार आठ सौ सड़सठ मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 70566, खसरा नं. 668, ग्राम पंचायत शारदा, पंचायत समिति-अकलेरा, जिला-झालावाड़, राजस्थान **क्षेत्रफल 1850 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060134719516 **सांवरिया मीणा (ऋणी)**, श्रीमती मनीषा मीणा (सह-ऋणी)	13 नवम्बर 2025 ₹ 260472/- रु. दो लाख साठ हजार चार सौ बहत्तर मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 38 पट्टा नं. 6679, ग्राम व्यास बावड़ी ग्राम पंचायत आमली, पंचायत समिति, जिला-बूंदी, राजस्थान **क्षेत्रफल 1050 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001071446751118 व L9001071035362511 **देशराज (ऋणी)**, श्रीमती दीपकुंवर (सह-ऋणी), रामकल्याण (सह-ऋणी)	13 नवम्बर 2025 ₹ 287899/- रु. दो लाख सत्तासी हजार आठ सौ निन्यानबे मात्र व ₹ 325845/- रु. तीन लाख पच्चीस हजार आठ सौ पैंतालीस मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 139, पट्टा नं. 17, गांव-बड़ोदिया, तहसील-अटरू, जिला-बारां, राजस्थान 325219, **क्षेत्रफल 1188 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060146176491 **पूरण कटारिया (ऋणी)**, श्रीमती नेहा कटारिया (सह-ऋणी)	13 नवम्बर 2025 ₹ 208748/- रु. दो लाख आठ हजार सात सौ अड़तालीस मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित प्लॉट नं. 4, तलवंड़ी सब्जी मंडी, भलाई की दीवार के पास, तलवंडी, गांव-लाड़पुरा, जिला-कोटा, राजस्थान, 324005 **क्षेत्रफल 157.5 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060137831768 **नरोत्तम कुमावत (ऋणी)**, भूपेन्द्र कुमावत (सह-ऋणी), श्रीमती इन्द्रा बाई (सह-ऋणी)	13 नवम्बर 2025 ₹ 1043792/- रु. दस लाख तैंतालीस हजार सात सौ बानवे मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 383, वार्ड नं. 04, गुजराती मोहल्ला सांगोद, गांव-सांगोद, जिला-कोटा, राजस्थान, 325601 **क्षेत्रफल 2350 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060123871395 **गोपी किशन (ऋणी)**, श्रीमती फोरान्ता बाई (सह-ऋणी)	15 नवम्बर 2025 ₹ 658238/- रु. छह लाख अट्ठावन हजार दो सौ अड़तीस मात्र दिनांक 10 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित खसरा नं. 2665 का भाग, पट्टा नं. 87, बूंदी का गोथरा, तहसील हिंडोली, जिला-बूंदी, राजस्थान **क्षेत्रफल 1194.6 वर्ग फीट**
(खाता सं.) L9001060144579432 **श्रीमती संजूबाई (सह-ऋणी व स्व. श्री रामकिशन के विधिक उत्तराधिकारी-ऋणी)**	20 नवम्बर 2025 ₹ 233251/- रु. दो लाख तैंतीस हजार दो सौ इक्यावन मात्र दिनांक 19 नवम्बर 2025	सम्पत्ति स्थित पट्टा नं. 1952, केएच नं. 91, ग्राम व तहसील-तलेड़ा, जिला-बूंदी, राजस्थान **क्षेत्रफल 600 वर्ग फीट**

स्थान : कोटा   दिनांक: 02-01-2026   प्राधिकृत अधिकारी एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड